दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार,वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: PLEX/Cir/837 02.02.2026

को,

प्लेक्सकॉन्सिल/सीओए के सभी सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

जैसा कि आप जानते हैं, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री ने **1 फरवरी, 2026 को 2026-27** का बजट प्रस्तुत किया था।

इस संदर्भ में, हम बजट की कुछ प्रमुख विशेषताओं को साझा करना चाहेंगे जो सामान्य रूप से विनिर्माण और निर्यात को और विशेष रूप से प्लास्टिक क्षेत्र को बढ़ावा देंगी।

माल ढुलाई और विदेशी व्यापार को सुगम बनाने की पहल:

- माल निकासी अनुमोदन के लिए एकल और परस्पर जुड़ी डिजिटल विंडो
- निर्माता-आयातकर्ता को आयात शुल्क का विलंबित भुगतान करने की अनुमति देना
- सीमा शुल्क एकीकृत प्रणाली (सीआईएस) को 2 वर्षों में लागू किया जाएगा।
- कारखाने से जहाज तक की मंजूरी के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग का उपयोग करके निर्यात कार्गो उपलब्ध कराया जाएगा।
- एसईजेड की पात्र विनिर्माण इकाइयों द्वारा घरेलू टैरिफ क्षेत्र में रियायती दर पर बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए एक विशेष एकमुश्त उपाय।
- विश्वसनीय और दीर्घकालिक आपूर्ति श्रृंखलाओं वाले नियमित आयातकों को जोखिम प्रणाली में मान्यता दी जाएगी।
- कूरियर निर्यात पर प्रति खेप 10 लाख रुपये की मौजूदा मूल्य सीमा को हटाना।
- दूसरे और तीसरे स्तर के अधिकृत आर्थिक संचालकों (एईओ) के लिए शुल्क स्थगन अवधि को 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया है। पात्र निर्माता-आयातकों को भी यही शुल्क स्थगन सुविधा प्राप्त होगी।

- किसी विश्वसनीय आयातक द्वारा बिल ऑफ एंट्री दाखिल करना और माल के आगमन की सूचना स्वतः सीमा शुल्क विभाग को देना।
- सीमा शुल्क भंडारण ढांचे को गोदाम संचालक-केंद्रित प्रणाली में परिवर्तित करना, जिसमें स्व-घोषणाएं आदि शामिल हों।

विनिर्माण को बढ़ावा देने की वे पहलें जो अप्रत्यक्ष रूप से प्लास्टिक क्षेत्र को बढ़ावा दे सकती हैं:

- 200 पुराने औद्योगिक समूहों को पुनर्जीवित करने की योजना
- समर्पित रासायनिक पार्क, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देते हैं।
- किफायती खेल सामग्री के निर्माण के लिए समर्पित पहल
- कंटेनर निर्माण योजना
- इलेक्ट्रॉनिक्स घटक निर्माण योजना

कर सुधार जो प्लास्टिक सहित सभी क्षेत्रों में विनिर्माण को समर्थन दे सकते हैं:

- विश्वसनीय निर्माताओं के लिए स्थगित शुल्क भुगतान की सुविधा
- विश्वसनीय और दीर्घकालिक आपूर्ति श्रृंखलाओं वाले नियमित आयातकों को जोखिम प्रणाली में मान्यता दी जाएगी।

लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता:

- लघु एवं मध्यम उद्यम विकास कोष के लिए समर्पित 10,000 करोड़ रुपये का फंड।
- TReDS प्लेटफॉर्म पर इनवॉइस डिस्काउंटिंग के लिए क्रेडिट गारंटी सहायता
- आत्मनिर्भर भारत कोष (2021) में ₹2,000 करोड़ की राशि का अतिरिक्त निवेश करें।

अवसंरचना विकास के माध्यम से लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना:

- एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारे का विकास
- तटीय माल परिवहन प्रोत्साहन योजना के तहत 2047 तक अंतर्देशीय जलमार्गों और तटीय जहाजरानी की हिस्सेदारी दोगुनी होकर 12% हो जाएगी।
- पूर्व में डंकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाले नए समर्पित माल ढुलाई गलियारे।

अधिक जानकारी के लिए, देखें:

https://www.indiabudget.gov.in/doc/bh1.pdf

https://www.indiabudget.gov.in/doc/cen/cus1226.pdf

सीमा शुल्क में परिवर्तन:

- कृपया निम्नलिखित सीमा शुल्क अधिसूचना की समीक्षा करें ताकि आपको उन वस्तुओं की सूची पता चल सके जिन पर सीमा शुल्क छूट मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है:

  https://www.indiabudget.gov.in/doc/cen/cus0226.pdf

  (पृष्ठभूमि के लिए - दिनांक 24 अक्टूबर 2025 की मूल सीमा शुल्क अधिसूचना देखें)

  https://taxinformation.cbic.gov.in/view-pdf/1010489/ENG/Notifications

यदि आपके पास कोई प्रतिक्रिया हो तो आप उसे bharti@plexconcil.org या shilpa@plexconcil.org पर भेज सकते हैं।

साभार

टीम प्लेक्सकॉन्सिल